(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2021–22 / 2967 दिनांक :– 15/03/2022

ई–निविदा सूचना संख्या 14 / विद्युत / 2021–22

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की जाती है।

कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा **निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।**

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग . शुल्क	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	अवधि
1.	बीकानेर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट सिस्टम के ओवरहेड लाईन, अण्डरग्राउण्ड केबल के फॉल्ट, संधारण एवं ट्यूबलर पोल्स के बिछाई गई अण्डरग्राउण्ड केबल का प्रतिस्थापन कार्य।	25.00	500/-	1000/-	2%	01 वर्ष
2.	बीकानेर पश्चिम विधानसभा में स्ट्रीट लाईट सिस्टम के ओवरहेड लाईन एवं अण्डरग्राउंड केबल के लाईन फॉल्ट का संधारण कार्य।	16.00	500/-	1000/-	2%	01 वर्ष

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय : 16/03/22 को 09:30 बजे से

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय : 26/03/22 को 18:00 बजे से

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय : 28/03/22 को 15:00 बजे पश्चात्

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / विद्युत / 2021–22 / 2968-2972 दिनांक :– 15/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
2. उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
4. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
5. ओसवाल डाटा प्रोसेसर, बीकानेर को ऑनलाईन वेबसाईट ई–प्रोक्योरमेन्ट एवं एसपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन हेतु।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

(समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2021–22 / 2967 दिनांक :– 15/03/2022

ई–निविदा सूचना संख्या 14 / विद्युत / 2021–22

नगर निगम कार्यालय, बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित दो कार्यों (अनुमानित लागत राशि रूपये 41.00 लाख एवं कार्य अवधि 01 वर्ष) हेतु इच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

1. UBN Code :-

2. UBN Code :-

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / विद्युत / 2021–22 / 2967 दिनांक :– 15/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन :–
   1. एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
   2. एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (50 हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाले)

   में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

–: ई–टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :–

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- **निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
- निर्धारित शुल्क एवं धरोहर राशि से कम भुगतान करने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- प्रोसेसिंग शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

नाम	MD RISL, Jaipur
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/–
50 लाख से अधिक	1000/–

- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500/–
10 लाख से अधिक	1000/–

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई–निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई–निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें/विवरण मान्य होंगी।
- RPWA-100 की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905
E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

1. तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जाँच निम्न बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड करने होंगे :–

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण
1.	**निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
2.	नगर निगम बीकानेर में ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
3.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी–बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
4.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शापथ–पत्र प्रस्तुत करें।
5.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
6.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), 1948 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
8.	पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।
9.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।
10.	निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करते समय सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं संधारण कार्य से सम्बधित 01 वर्ष का किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11.	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार के सूचना संख्या/क्रमांक संख्या TR-4063/2018 एवं कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षणालय के पत्र क्रमांक व.नि.नि./लाईसेंस/2021/7454 दिनांक 29.06.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए समस्त श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों के लाईसेन्स, विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण–पत्र, विद्युत पर्यवेक्षकों (खान) एवं विद्युत वायरमेन परमिट को भी ऑनलाईन पोर्टल eid.rajasthan.gov.in पर माईग्रेट (डिजीटल) करवाना आवश्यक है। डिजीटल की प्रतिलिपि के अभाव में पुराना लाईसेन्स मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स कि प्रतिलिपि निविदा के साथ www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
12.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में **निर्धारित श्रेणी** में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :– 1. E-EWSD-Ist — Any Amount (कोई भी राशि) 2. E-EWSD-IInd — Up to 25.00 Lacs 3. E-EWSD-IIIrd — Up to 10.00 Lacs 4. E-EWSD-IVth — Up to 05.00 Lacs

प्रभारी (वि.)	मुख्य लेखाधिकारी	उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर	नगर निगम, बीकानेर	नगर निगम, बीकानेर

2. वित्तीय निविदा शर्ते :–

1. निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
2. सफल निविदादाता जिसका टेण्डर स्वीकृत किया जाता है, को कार्यादेश प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना आवश्यक होगा एवं इसके साथ ही कार्यादेश तिथि के अधिकतम 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना होगा।
3. सफलतम निविदादाता को सभी प्रकार के उपकरण, साधन एवं वाहन इत्यादि संवेदक को स्वयं अपने स्तर पर लगवाने होंगे।
4. विद्युत फॉल्ट व अन्य कारणों से रोड़ लाईट कनेक्शन एवं ब्रांच सर्किट बन्द/फाल्ट होने पर चालू करने का दायित्व संवेदक का होगा। रोड़ लाईट का मीटर जलने/खराब होने पर सम्बन्धित विधुत विभाग में एवं निगम कार्यालय में लिखित में सूचना देनी होगी तथा कन्ट्रोल रूम में रिपोर्ट भी दर्ज करानी होगी।
5. निविदादाता को किए गए कार्य की दैनिक एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भरकर बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा बिल पारित नहीं किया जावेगा।
6. आपातकालीन स्थिति एवं कार्यभार की आवश्यकतानुसार मेन्टिनेन्स टीमों की संख्या को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में नगर निगम अधिकारियों के निर्देशानुसार बताये गये स्थान पर कार्य करने हेतु निविदादाता व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगा। आदेशों की पालना नहीं करने पर निविदादाता के विरूद्ध दण्ड़ात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. कार्य के दौरान बदला जाने वाला सामान निविदा के 'G' Schedule/ 'H' Schedule में निर्धारित Make का होना आवश्यक है तथा मेक लगाने से पूर्व उसका सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। उचित मेक का सामान नहीं लगाने पर नियमानुसार शास्ति लगाई जावेगी। बदला गया सामान निगम कार्यालय में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं होगी।
8. **यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। उपरोक्त धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी, जबकि सफल निविदादाता के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग में मान लिया जावेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वास्तविक राशि के 2.50 प्रतिशत होगी।**
9. **वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कोष में ई–ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।**
10. मुख्य मार्गो पर स्थित डिवाईडर पर पोल एवं केबल प्रतिस्थापन का कार्य सम्पादन के दौरान संवेदक को अपने स्तर पर अनुभवी श्रमिकों द्वारा कार्य करवाना होगा एवं ज्ञात रहे कि संवेदक द्वारा डिवाईडर पोल्स व केबल प्रतिस्थापन कार्य सम्पादन हेतु मेन्टिनेन्स टीमों का उपयोग नहीं किया जावेगा।
11. मुख्य मार्गों पर पोल्स एवं केबल कार्य करने हेतु अनुमति संवेदक को स्वयं के स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा निगम अधिकारियों से आपसी समन्वय स्थापित कर प्राप्त करनी होगी।
12. निविदादाता द्वारा दी गई दरें समस्त प्रकार के कर सहित मानी जाएगी एवं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।
13. निविदादाता को श्रम कानून की कठोरता से पालना करनी होगी।
14. निविदादाता को अपने अधीन कर रहे कार्मिकों का दुर्घटना बीमा आवश्यक है जिसका प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर समस्त कार्मिकों की सूची निगम कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी अन्यथा कार्य का बिल पारित नहीं किया जावेगा।
15. निविदादाता को आपातकालीन स्थिति, दुर्घटना एवं जनहानि के समय निगम प्रशासन की ओर से दिये गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
16. फर्म को किये जाने वाले भुगतान में से राज्य सरकार को देय समस्त व्यय (समस्त प्रकार के कर हेतु कटौती) एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
17. किसी भी प्रकार के विवाद में श्रीमान् आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
18. आयुक्त, नगर निगम बीकानेर बिना कारण बताये किसी भी चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेगें। इस निरस्तीकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी।

प्रभारी (वि.)	मुख्य लेखाधिकारी	9/3/22 उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर	नगर निगम, बीकानेर	नगर निगम, बीकानेर

19. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र बीकानेर होगा।
20. निविदादाता द्वारा स्वंय के स्तर पर शर्तों के विरूद्ध कार्य बन्द रखने पर उस दिवस के समय की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 5000/– रू. प्रति दिवस शास्ति दण्ड के रूप में वसूल की जावेगी।
21. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
22. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
24. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवानें इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
25. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाए जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।
26. अनुबंध सम्पादन के दौरान संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्रों में संलग्न Annexure A, B, C, D, and SR-11 Form पर स्वंय प्रमाणित कर जमा करवाना होगा।
27. निविदादाता द्वारा किये गये कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट नगर निगम के विद्युत अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी।
28. **निविदा दस्तावेजों की सम्पूर्ण प्रति को डाउनलोड कर निविदा में वर्णित समस्त शर्तों के स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप निविदादाता द्वारा अपने हस्ताक्षर मय सील सहित तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।**

उपरोक्त समस्त शर्तें मेरे द्वारा भली भांति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रभारी (वि.) **नगर निगम, बीकानेर**	**मुख्य लेखाधिकारी** **नगर निगम, बीकानेर**	**उपायुक्त** **नगर निगम, बीकानेर**

3. निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जावेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे।
3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :– माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 2.5 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। यह निम्न में से किसी एक रूप में जमा करवानी होगी :–
   1. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
   2. राष्ट्रीय बचत पत्र।
   3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।
   4. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)।
   5. E-Grass कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :–
      (a) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
      (b) निम्नलिखित मामतों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfiet) कर ली जावेगी।
         1. जब संविदा के किन्हीं निबंधन/शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
         2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
         3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
4. बोली प्रतिभूति :– उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जावेगा।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :–
   1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   2. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
   3. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर,प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
   4. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करवाता है।
7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
8. **निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।**
9. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगा। इसमें कोई त्रुटियाँ /उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दरें अस्पष्ट होने पर शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
10. निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी।
11. निविदादाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी साखान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाड़े पर नहीं देगी।
12. बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादात की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद या यथा शीघ्र लौटाई जाएगी।
13. **राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में बोली प्रतिभूति प्रदाय (आपूर्ति) के लिए प्रदत्त (प्रस्तावित) मात्रा 0.5 प्रतिशत होगी।**
14. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
15. यदि उपापन संस्था किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
16. **वार्षिक दर संविदा अवधि को 3–3 माह करते हुए 01 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है तथा विशेष परिस्थिति में वार्षिक दर संविदा अवधि को आगामी बोली होने तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।**
17. बोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

18. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर या उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य बाध्य होगा अर्थात् बोली दस्तावेज में शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि का उल्लेख नहीं हो या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्धारण किया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
19. वार्षिक दर संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
20. तकनिकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/ बाध्य होगा।
21. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि अच्छे से पढ़ कर भली भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनिकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
22. ई बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थपन और उपांतरण ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाइन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
23. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
24. बोली वित्तीय बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकेगा जिस पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य /बाध्य होगा।
25. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य /बाध्य होगा।
26. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
27. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
28. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
    1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
    2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नो.।
    4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
29. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

प्रभारी (वि.)
नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम, बीकानेर

9/3/22
उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने .... निविदा दी है।

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम
पूर्ण पता

टेलीफोन नं0 (निवास)
(कार्यालय)